

06.11.17

कमील कमी. व. व. 34 उप.। तहत-पत्रावली प्राप्त  
हो चुकी है जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली  
का अवलोकन किया गया। प्रकरण और खतिवारी के  
खतिवारी के के संबंध में है। जिला कलक्टर  
से-आर्चापुर का आदेश प्रशासनिक आदेश है।  
जिसके विरुद्ध कमील चलने योग्य नहीं है। अतः  
कमीलान्त का कमील मूल ही वापिस की जावे।  
पत्रावली के मूल शुभारंभ कर बाद तत्कमील प्राप्त  
दाखिल कर रहे है।

संभागीय आयुक्त  
भरतपुर संभाग, भरतपुर

DM स.भा.  
मूल पत्रावली  
हाथ शिफ्ट है

मूल पत्रावली  
में से सप्त  
सप्तौग मय  
आधील प्राप्त  
की।  
✓ संदेश  
कृष्ण गोपाल शर्मा  
रजवाड़े

DM स.भा. की मूल पत्रावली  
राजस्व शाखा में शिफ्ट गई  
राजस्व शाखा के पत्रावली  
प. (राजस्व) 13/1045 दिनांक  
01.12.17 से DM स.भा.  
का जपत शिफ्ट गई।